

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2011—चैत्र 7, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2011

क्र. 9056-वि.स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 14 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 28 मार्च 2011 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १४ सन् २०११

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६
(क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन.

मध्यप्रदेश
अधिनियम क्रमांक
२३ सन् १९५६ का
संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १३० में, उपधारा (४) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंतःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

“(५) निगम के वार्षिक लेखे पर, अंकेक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को या ऐसे अन्य प्राधिकारी को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत की जाएंगी.”.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१
(क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन.

मध्यप्रदेश
अधिनियम क्रमांक
३७ सन् १९६१ का
संशोधन.

३. सम्पूर्ण मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में, शब्द “नगर पंचायत” जहां कहीं भी आए हों, के स्थान पर, शब्द “नगर परिषद्” स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:—

(१) निगम के वार्षिक लेखाओं पर संपरीक्षकों की संपरीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजे जाने की दृष्टि से, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ के विद्यमान उपबंधों के समरूप, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ में समुचित उपबंध किया जाना प्रस्तावित है.

(२) यह प्रस्तावित है कि पद “नगर पंचायत” के स्थान पर, शब्द “नगर परिषद्” प्रतिस्थापित किया जाए जिससे इन निकायों को पंचायती राज्य संस्थाओं से विभेदित किया जा सके.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : १६ मार्च, २०११.

बाबूलाल गौर
भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ द्वारा निगम के वार्षिक लेखों पर अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां प्रस्तुत किए जाने के संबंध में राज्य सरकार को विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित की जा रही है. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.